



Neutral Citation No. - 2026:AHC:19769

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - A संख्या - 1138/2026

अमरजीत कुमार, हेड कांस्टेबल.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता:अनिकेत जायसवाल, ऋषभ केसरवानी

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषभ मिश्रा और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे हेड कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया था और वर्तमान में वह जिला वाराणसी स्थित रिजर्व पुलिस लाइंस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात है। दिनांक 15.06.2025 को, रिट याचिकाकर्ता का स्थानांतरण वाराणसी से प्रयागराज कर दिया गया था, हालाँकि, रिट याचिकाकर्ता को दिनांक 10.11.2025 को कार्यमुक्त किया गया। निवेदन यह है कि रिट याचिकाकर्ता को एक सप्ताह की अवधि बीत जाने के बाद कार्यमुक्त नहीं किया जाना चाहिए था। वह आगे निवेदन करते हैं कि दिनांक 17.10.2025 को एक परिपत्र जारी किया गया था।
3. वर्तमान याचिका में स्थानांतरण और कार्यमुक्ति के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता इस स्थिति का खंडन नहीं कर सके; उनके अनुसार, सरकारी आदेश और परिपत्र प्रतिवादियों पर बाध्यकारी हैं। वह निवेदन करते हैं कि रिट याचिकाकर्ता को उसके स्थानांतरण की तिथि से लेकर कार्यमुक्ति तक की अवधि के दौरान रोके रखने के संबंध में कोई असाधारण कारण नहीं बताए गए हैं। वह निवेदन करते हैं कि उक्त आदेश को रद्द कर दिया जाए।
5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और अभिलेखों का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है।
6. स्पष्टतः, स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.06.2025 को पारित किया गया था और रिट याचिकाकर्ता को दिनांक 10.11.2025 के कार्यमुक्ति आदेश के आधार पर कार्यमुक्त किया जाना बताया गया है। जब प्रतिवादियों की ओर से ऐसे परिपत्र मौजूद हैं जिनमें यह स्पष्ट किया गया है कि कार्यमुक्ति की प्रक्रिया 7 दिनों की अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता का स्थानांतरण उक्त नियमों के विपरीत जाकर नहीं किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, यह मामला अब कोई नया या अनसुलझा मुद्दा नहीं रहा है, क्योंकि इस पर स्पेशल लीव संख्या 481/2024 में निर्णय दिया जा चुका है, जिसका फैसला 14.05.2024 को हुआ था।
7. तदनुसार, इस रिट याचिका को स्वीकार किया जाता है।
8. प्रतिवादी संख्या 3, सहायक पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक, स्थापना/कार्मिक पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, पुलिस भवन, शहीद पथ, सिग्रेचर बिल्डिंग, गोमती नगर एक्सटेंशन, उत्तर “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिनांक 15.06.2025 को पारित विवादित स्थानांतरण आदेश, और उसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी संख्या 4, पुलिस आयुक्त, वाराणसी, जिला वाराणसी द्वारा दिनांक 10.11.2025 को पारित आदेश को रद्द किया जाता है; यह रद्दकरण केवल उस सीमा तक प्रभावी होगा जहाँ तक इसका संबंध रिट याचिकाकर्ता से है। प्रतिवादियों को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि यदि वे चाहें, तो वे एक नया आदेश पारित कर सकते हैं।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

29 जनवरी, 2026

राजेश

Translated version. Not for Legal Use.

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”